HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 34— HLA OF 2022

THE GURUGRAM METROPOLITAN DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Gurugram Metropolitan Development Authority (Amendment) Act, 2022.

Amendment of section 5 of Haryana Act 34 of 2017.

2. After clause (m) of section 5 of the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ma) Director, Town and Country Planning Department, ex-officio member;".

Amendment of section 9 of Haryana Act 34 of 2017.

3. For sub-section (1) of section 9 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) The State Government shall, by notification, appoint an officer of the State Government not below the rank of Secretary as Chief Executive Officer.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Chief Executive Officer of Gurugram Metropolitan Development Authority being administered by Department of Town and Country Planning have to report to its Administrative Secretary. It is observed by the Government that Gurugram Metropolitan Development Authority does not require an officer as high in hierarchy as that of a Principal Secretary to manage administrative affairs as done in Panchkula Metropolitan Development Authority Act 2021 (Haryana Act No. 23 of 2021).Therefore, sub-clause (1) of Section 9 of the Gurugram Metropolitan Development Authority Act 2017 (Haryana Act No. 34 of 2017) is proposed to substitute to appoint an officer of the State Government not below the rank of Secretary as Chief Executive Officer.

Further, name of 'Director, Town and Country Planning Department' as Ex-officio member in section 5 of (ma) of the Gurugram Metropolitan Development Authority Act 2017 (Haryana Act No. 34 of 2017) after clause (m) is inserted to attend the meeting for regulating the function of the authorities.

Hence this Bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 23rd December, 2022.

R.K. NANDAL,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 23rd December, 2022, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE

Extract from the Gurugram Metropolitan Development Authority, Act 2017

5. The Authority shall consist of the following members, namely:- Constitution of Authority.

(a) to (m) xxxxxxxxxxxxxx

(ma) Director, Town & Country Planning Department, ex-officio member;

(n) to (r) xxxxxxxxxxxxxx

9. (1) The State Government shall, by notification, appoint an officer of the State Government, not below the rank of Principal Secretary, as Chief Executive Officer. Appointment, terms and condition etc. of Chief Executive Officer.

10073—H.V.S.—H.G.P., Pkl.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या–34 एच०एल०ए०

गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022

गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 के खण्ड (ड) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:– 2017 के हरियाणा अधिनियम 34 की धारा 5 का संशोधन।

"(डक) निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, पदेन सदस्य;"।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:– 2017 के हरियाणा अधिनियम 34 की धारा 9 का संशोधन।

"(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के किसी अधिकारी, जो सचिव की पदवी से नीचे का न हो, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नगर व ग्राम आयोजन के प्रशासकीय सचिव को प्रतिवेदन (रिपोर्ट) करना होता है। सरकार द्वारा यह देखा गया है कि गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को प्रशासनिक मामलों के प्रबंधन के लिए प्रधान सचिव के रूप में एक अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती है जैसे कि पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 23) में पहले ही यह लागू हो चुका है। इसलिए गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 34) की धारा 9 के उप खंड (1) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सचिव के पद से नीचे राज्य सरकार के अधिकारी की नियुक्ति न करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 34) के धारा 5 के खंड (ड) के बाद (डक) में निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग को पदेन सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए शामिल किया जाये।

इसलिए यह विधेयक है।

मनोहर लाल,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 23 दिसम्बर, 2022

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 2017 से उद्धरण

5. प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा, अर्थातः— प्राधिकरण का गठन।

(क) से (ङ) तक यथावत;

(डक) निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, पदेन सदस्य;

(ढ) से (द) तक यथावत;

9. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के किसी अधिकारी, जो प्रधान सचिव की पदवी से नीचे का ना हो, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, निबंधन तथा शर्तें इत्यादि।

10072—H.V.S.—H.G.P., Pkl.